प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
आगरा, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, मेरठ, मुरादाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी,
कानपुर नगर, फैजाबाद, बांदा, सहारनपुर तथा गोण्डा।

संख्या– 1/235/2013–1/08/2013 : लखनऊः दिनांक 31 मई, 2013

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–04–मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव पंचायती राज उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1148/33–3–2013–100 (12)/2013, दिनांक 11 अप्रैल, 2013 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 1438027/– (₹ चौदह लाख अड़तीस हजार सत्ताईस मात्र)** की धनराशि आवंटित की जाती है:–

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक), अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–640/दस–2013–231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो। यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व अनुमति प्राप्त की जाय।

3– धनराशि के कोषागार से आहरण की फेंजिग स्वीकृत आदेश में समावेश सुनिश्चित किया जायेगा। जो समान्यतः दो माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

4– आवंटित की जा रही धनराशि का आवंटन (एलाटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो, उन मामलों में व्यय के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय।

6– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–101–पंचायतीराज–04– मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

7– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

8– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम आवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

9– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगे।

10– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

कृ0पृ0उ0

11– एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

12– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य –लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

13– वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय,कार्यालय व्यय ,पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0–934 / दस–2008 –मित–1 / 2007 दिनांक 2–9–2008 और समय–समय पर भविष्य में जारी किये गये, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

14– संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–11–2013 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–1–2014 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4– वर्ष 2013–14 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5–2–2014 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या– 08 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सौरभ बाबू)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1 / 235 / 2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2–प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन।
3–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5–वरिष्ठ उपमहालेखाकार / स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6–सम्बन्धित मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Print Report

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2013-2014
आवंटन दिनांक-31/05/2013

प्रेषण संख्या:- 1-235-2013-1-08-2013
आवंटन आदेश संख्या:- 002-08-2013
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2013-2014 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		04-यात्रा व्यय	08-कार्यालय व्यय	09-विद्युत देय	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	10905 10905	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	0 0	52689 52689
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3000 3000	12857 12857	19285 19285	9642 9642	50000 50000	70000 70000	164784 164784
3	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9963 9963	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	70000 70000	121747 121747
4	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6588 6588	12857 12857	19285 19285	9642 9642	50000 50000	70000 70000	168372 168372
5	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9072 9072	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	0 0	50856 50856
6	कानपुर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5160 5160	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	70000 70000	116944 116944
7	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5454 5454	12857 12857	19285 19285	9642 9642	50000 50000	70000 70000	167238 167238
8	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	6291 6291	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	0 0	48075 48075
9	वाराणसी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7722 7722	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	70000 70000	119506 119506
10	गोरखपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7101 7101	12857 12857	19285 19285	9642 9642	50000 50000	70000 70000	168885 168885
11	बस्ती-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	5589 5589	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	0 0	47373 47373
12	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	9000 9000	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	0 0	50784 50784
13	फैजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4023 4023	12857 12857	19285 19285	9642 9642	0 0	70000 70000	115807 115807
14	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3159 3159	12859 12859	19295 19295	9654 9654	0 0	0 0	44967 44967
	योग	वर्तमान प्रगामी	93027 93027	180000 180000	270000 270000	135000 135000	200000 200000	560000 560000	1438027 1438027

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौदह लाख अड़तीस हजार सत्ताइस
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चौदह लाख अड़तीस हजार सत्ताइस

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
रामदेव सिंह